यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुकदमा 54/17 तारीख रजू 27-7-17

उनवान -- कौमति मीना बनाम किरोड़ी लाल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 RTAct

प्रार्थीया की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को जरिये नोटिस जारी कर दिनांक 23-8-17 को पेश हो।

4341.42
27-7-17

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

वकुलात उपस्थित। अप्रार्थी नं० 1 की ओर से श्री हेमन्तकुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं० 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं इसलिए इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही आगल मे जारी है। वास्ते जवाब दिनांक 4.10.17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

वकुलाम उपस्थित। प्रतिवादी वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय चाहा दिया गया। वास्ते जवाब दिनांक 30.10.17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
19.7.19	वकुलाय उप० / बहस हेतु समय चाहा / समय दिया जाकर बहस हेतु दिनांक 13-8-19 को पेश हो।
13-8-19	वकुलाय उप० / बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 22.8.19 को पेश हो।
22-8-19	वकुलाय उपस्थित / सायलां ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 492/0.19, 1089/483 0.22 कुल रकबा 1.01 है० मे हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल नं० 1 हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है अपने-अपने हिस्से पर काबिज है काश्त कर रहे हैं पक्षकारो ने वर्षो पूर्व ही आपसी बैटवारा कर रखा है कानूनी रूप से तकसीम नहीं हुआ है। गैरसायल ने धमकी दी है कि प्रशासन ने खेत तो खुदवा दिया है अब हम जुताई करेंगे तथा सायला के कब्जे काश्त के रकबे की डोल मेड व पत्थरों को हटाने की धमकी दी। गांव वालो ने समझा कर वापिस भेज दिया तथा ऐलानिया धमकी दी है कि हम इस जमीन पर कब्जा करेंगे। इस कारण समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि गैरसायल को पाबन्द फरमाया जावे कि सायला के हिस्सा 1/2 के कब्जे काश्त में मजामहत मदाखलत नहीं करें। शांति पूर्वक काश्त करने देवे। डोल मेड को नहीं तोड़े। अप्रार्थी ने जबाब पेश किया है कि सायला हिस्सा 1/2

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पर काबिज नहीं है बल्कि ½ हिस्से पर काबिज है। पक्ष
कारो के मध्य कभी भी बटवी बँवारा नहीं हुआ है। तथा
कथित विक्रय पत्र तारीखी 3.3.2001 फ्रोड व बनावटी है।
तेजसिंह हिस्सा ½ पर काबिज था, तेजसिंह को यह अराजी
अपने भाई किरोडी व बहिनो को विरासत में तेजसिंह मिली
है तेजसिंह के हिस्सा ½ पर ही सायला काबिज है। प्रति
पत्र में अन्य तथ्य गलत दर्ज किये हैं। हिस्सा ½ पर गैर
सायलन नं.। खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के किरोडी
तेजसिंह की बहिने किशन प्यारी वगै० खातेदार हैं तथा
काबिज एवं दखील हैं। दावा चलने योग्य नहीं है। सायला
द्वारा किरोडी व तेजसिंह की बहिनो को पक्षकार नहीं
बनाया है इस बिना पर भी दावा चलने योग्य नहीं
अतः प्रार्थना पत्र अस्वाई निषेधाज्ञा खारिज

जिला

गैरसायलान

अर्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्व
वर्णित तथ्यो को अपनी बहस
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को
वकील अप्रार्थी मे अपे
हुए सायला का
किया)

पत्रा

रिसायलान के खिलाफ माननीय
या है। जिसमें सायलान को सफलता
।

0नं0 492, 1089/483 रकबा कमशः 0.79है0
1.01है0 स्थित ग्राम जौल तह0 टोडाभीम जिला
आराजी में हाल जमाबंदी संवत् 2070–73 में सायला
की व गैरसायलान नं0 1 बहिस्सा 1/2 के रिकार्डेड
श्तकार है। तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील
काश्त कर रहे है। पक्षकारान ने वर्षो पूर्व से बाहमी बंटवारा कर
है। कानूनी रूप से तकास्मा नही हुआ है।

Scanned by CamScanner

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

पर काबिज नही है बल्कि ½ हिस्से पर काबिज है। पक्ष कारो के मध्य कभी भी बटवी बँटवारा नहीं हुआ है। तथा कथित विक्रय पत्र तारीखी 3.3.2001 फ्रोड व बनावटी है। तेजसिंह हिस्सा ½ पर काबिज था, तेजसिंह को यह अराजी अपने भाई किरोडी व बहिनो को विरासत में तोतासे मिली है तेजसिंह के हिस्सा ½ पर ही सायला काबिज है। प्रा० पत्र में अन्य तथ्य गलत दर्ज किये हैं। हिस्सा ½ पर गैर सायल नं। खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के किरोडी तेजसिंह की बहिने किशन प्यारी वगै० खातेदार हैं तथा काबिज एवं दखील है। दावा चलने योग्य नही है। सायला द्वारा किरोडी व तेजसिंह की बहिनो को पक्षकार नही० बनाया है इस बिना पर भी दावा चलने योग्य नही० है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

अर्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार करने का कथन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सायला का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम जौंत की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता नँ०या 23 की खेमि खसरा नम्बर 492 रकबा 0.79 है०, 1089/483 रकबा 0.22 है० में प्रार्थीया मीना देवी हिस्सा ½ की खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी किरोडी भी हिस्सा ½ का खातेदार काश्तकार है। प्रत्येक अन्य पक्षो

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner